न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०– **एम०– 10/2025**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

दशमी देवी –बनाम– दवेश उराँव

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०– **17/2025 थाना प्रभारी, डुमरी थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०– **08/2025 दिनांक– 19.04.2025** में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा– 126 तहत प्रास्तव प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** दशमी देवी, पति– सिकन्दर उराँव, सा०– डुमरी, थाना– डुमरी, जिला– गुमला एवं **द्वितीय पक्ष** दवेश उराँव, पिता– दशई उराँव, ग्राम– डुमरी, थाना– डुमरी, जिला गुमला के बीच जमीन विवाद के कारण उत्पन्न विधि–व्यवस्था की स्थिति में न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। अंकनीय है कि संबंधित पक्षकारों को थाना दिवस के अवसर पर जमीन विवाद से संबंधित मामले को आपसी समझौता के द्वारा निष्पादन हेतु डुमरी थाना भेजा गया। दिनांक-- 26.06.2025 को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहम्मति से समझौता कर समझौतानामा न्यायालय में दाखिल किया गया है।

चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा– 126 के तहत विर्निदिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि सभी संबंधित पक्षकार लोक परिशांति व विधि--व्यवस्था बनाए रखेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2025.12.08 19:50:32 +05:30
Location: 172.22.187.77

Scanned with CamScanner